राजस्थान सरकार

Email- jdmandalbkn@gmail.com
Phone: 0151-2970655

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांकः संनि/स्कूल शिक्षा/शै0प्र0/ 2020/2005 दिनांक : 27.11.2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
बीकानेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर।

विषयः– दो पारी में विद्यालय संचालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय नियमानुसार समस्त राजकीय विद्यालय एक पारी में संचालित करने के निर्देश है। यदि परिस्थितिवश कोई विद्यालय दो पारी में संचालित करना आवश्यक हो तो संस्था प्रधान प्रतिवर्ष औचित्य सहित प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) के मार्फत संबंधित संयुक्त निदेशक को प्रेषित करेंगे। संयुक्त निदेशक प्रस्ताव का परीक्षण कर विद्यालय संचालन दो पारी में करने के आदेश प्रसारित करते हैं।

वर्तमान में कोविड–19 के चलते विद्यालयों में विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसके बावजूद कई संस्था प्रधान बिना अनुमति के विद्यालय दो पारी में संचालित कर रहे हैं। यह विभागीय निर्देशों की अवहेलना सहित गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले में दो पारी में संचालित होने वाले समस्त विद्यालयों की सूची दिनांक 01.12.2020 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि उनके खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

www.rajteachers.com

(प्रकाश चंद्र जाटोलिया)
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांकः संनि/स्कूल शिक्षा/शै0प्र0/ 2020/2005 दिनांक : 27.11.2020

प्रतिलिपिः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक/प्रारंभिक, बीकानेर संभाग
2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर संभाग को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वो अपने अधीन दो पारी में संचालित विद्यालयों की सूचना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करावें।

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर